तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 13/2025 जीसीएमएस : 2025/33 विजय कुमार बनाम अनिल कुमार वगैरा प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
27.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण से संबंधित मूल वाद सं. 14/2023 का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद प्रकरण 14/23 में दिनांक 17.12.2024 को पारित निर्णय जिसके द्वारा वादी का वाद पत्र अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी के आधार पर खारिज किया गया है को अपास्त कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ अन्य प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु निवेदन किया है। वकील प्रार्थी के कथनों प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर न्यायालय की राय में आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के तहत वादी को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पंत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी को 500रूपये कोस्ट पर नया वाद पत्र पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी मियाद अवधि के अधीन रहते हुए नया वाद पेश कर सकते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:52:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner